रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33001/95 REGISTERED NO. DL-33001/95

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY INDIA

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 22, 1995/आषाढ़ 31, 1917
No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 22, 1995/ASHADA 31, 1917

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित है)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, 26 जून, 1995

सा. का. नि. 337.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में राष्ट्रपति एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं अर्थात् :—

कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री गोपाल बल्लभ पट्टनायक, जिन्हें उड़ीसा उच्च न्यायालय से स्थानान्तरित किया गया है, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा अवधि के दौरान अपने वेतन के अतिरिक्त 900/- रु. (केवल नौ सौ रु.) प्रति माह की दर से प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

[सं. के.-11017/1/95-यूएस-II(ii)]

श्रीमती वीना ब्रह्मा, निदेशक (न्याय)

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

New Delhi, the 26th June, 1995

G.S.R. 337.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

That Shri Justice Gopal Ballav Patnaik, Chief Justice of the Patna High Court, who has been transferred from the Orisssa High Court, shall be entitled to receive in addition to his salary, a compensatory allowance at the rate of Rs. 900 (Rupees nine hundred only) per mensem for the period of his service as Chief Justice of the Patna High Court.

[No. K-11017/1/95-US-II(ii)]

SMT. VEENA BRAHMA, Director (Justice)

1656 GI/95—1.

3. अधिसूचना सं. 20/4/67-बी(ए) तारीख 11-1-1968
4. अधिसूचना सं. 7/1/68-बी(ए) तारीख 7-3-1968
5. अधिसूचना सं. 11/12/70-बी(ए) तारीख 15-4-1968
6. अधिसूचना सं. 1/17/73-बी(ए) तारीख 13-11-1975
7. अधिसूचना सं. 1/17/73-बी(ए) तारीख 18-2-1976
8. अधिसूचना सं. 1/1/76-बी(ए) तारीख 28-9-1976
9. अधिसूचना सं. 1/12/76-बी(ए) तारीख 12-5-1976
10. अधिसूचना सं. 12019/4/78 बी(ए) तारीख 5-8-1978
11. अधिसूचना सं. 1/17/73-बी(ए) तारीख 10-9-1976
12. अधिसूचना सं. 1/13/75-बी(ए) तारीख 9-1-1981
13. अधिसूचना सं. 1/13/75-बी(ए) तारीख 7-9-1981
14. अधिसूचना सं. 12019/5/76-बी(ए) तारीख 21-6-1978
15. अधिसूचना सं. 11/62/81-एस. 11/बी(ए) तारीख 16-3-1985
16. अधिसूचना सं. 11/31/84-एस. 11/बी(ए) तारीख 16-3-1985
17. अधिसूचना सं. 11/21/84-एस. 11/बी(ए) तारीख 23-12-1985
18. अधिसूचना सं. 14/20/86-एस. 11/बी(ए) तारीख 28-3-1988

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, 10th July, 1995

G.S.R. 346 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the ALL INDIA RADIO (class IV posts) Recruitment Rules, 1964, namely :—

1. (1) These rules may be called All India Radio (class IV posts) Recruitment (Amendement) Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (class IV posts) Recruitment Rules, 1964, against serial number 13 relating to the post of Gestetner Operator (Junior Scale) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection post or non-selection post	Whether the benefit of added years of service is admissible under Rule 30 of CCS (pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
13. Gestetner Operator (Junior Scale)	13* (1995)	General Central service class IV Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 800-15-1010-EB-.20-1150	Not applicable	Not applicable

*Subject to variation dependent of workload.

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10
Between 18 and 25 years (Relaxable for Government Servants up to 35 years in accordance with the orders or instructions issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	(i) Middle School Standard pass (ii) Proficiency in operating and maintaining Gestetner Machines	Age : No. E.Q. : Yes	Two years for direct recruits.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a D.P.C. exists, what is its composition
11	12	13
By promotion failing which by transfer on deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion : Daftries/Sr. peon/Studio Guards with three years regular service in the grade and having proficiency in operating and maintaining Gestetner Machines. Transfer on deputation : Officers of the Central Govt. :— (A) (i) holding analogous posts on regular basis or (ii) holding posts in the pay scale of Rs. 775-1025 or equivalent on regular basis for at least 3 years and (B) Possessing educational qualifications as laid down for direct recruits in Col. 8. (The period of deputation, including period of deputation in other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department shall ordinarily not exceed three years).	Group 'D' DPC for considering promotion/confirmation :— 1. Assistant Station Engineer/Assistant Station Director or an officer of equivalent rank in the offices/Stations of All India Radio—Chairman. 2. Assistant Engineer/Programme Executive or an officer of equivalent rank in that office—Member 3. Administrative Officer/Head Clerk/Accountant—Member. For Directorate 1. Deputy Director Admn. (HQ)—Chairman 2. Dy Director Admn—Member 3. Section Officer, Staff—V Section—Member

[No. 4/70/90-SVI]

VIJAY SHARMA, Under Secy.

The Principal Rules called the All India Radio (Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1964 were notified vide Notification No. 11 (5)/60-B(A) dated 30-11-1964 (GSR No. 1777 dated 30-11-64).

Subsequently the following amendments were notified :—

1.	Notification	No. 11(5).60-B(A) dated 18-1-1965
2.	,,	No. 7/2/67-B(A) dated 16-6-1967
3.	,,	No. 20/4/67-B(A) dated 11-1-1968
4.	,,	No. 7/1/68-B(A) dated 7-3-1968
5.	,,	No 11/12/70-B(A) datad 15-4-1968
6.	,,	No. 1/17/73-B(A) dated 13-11-1975
7.	,,	No. 1/17/73-B(A. dated 18-2-1976
8.	,,	No. 1/1/76-B(A) dated 28-9-1976
9.	,,	No. 1/12/76-B(A) dated 12-5-1976
10.	,,	No. 12019/4/78-B(A) dated 5-8-1978
11.	,,	No. 1/17/73-B(A) dated 10-9-1976
12.	,,	No. 1/13/75-B(A) dated 9-1-1981
13.	,,	No. 1/13/75-B(A) dated 7-9-1981
14.	,,	No. 12019/5/76-B(A) dated 21-6-1978
15.	,,	No. 11/62/81-S. II/B(A) dated 16-3-1985
16.	,,	No. .1/31/84-S. II/B(A) dated 16-3-1985
17.	,,	No. 11/21/84-S. II/B(A) dated 23-12-1985
18.	,,	No. 14/20/86-S. II/B(A) dated 28-3-1988

संचार मंत्रालय

(दूर संचार विभाग)

दूर संचार आयोग

ई दिल्ली, 2 जून, 1995

सा.का.नि. 347.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दूर-संचार कारखाना संगठन (कनिष्ठ इंजीनियर) भर्ती नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूर-संचार कारखाना संगठन (कनिष्ठ इंजीनियर) भर्ती (संशोधन) नियम, 1995 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. दूरसंचार कारखाना संगठन (कनिष्ठ इंजीनियर) भर्ती नियम, 1971 में,

(1) "(कनिष्ठ इंजीनियर)" कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर, जहां ये आते हैं, "(कनिष्ठ दूर-संचार अधिकारी)" कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे।

(2) विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी; अर्थात्

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	4
कनिष्ठ दूर-संचार अधिकारी	149* (1995) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित अनसचिवीय	1400-40-1800-द.रो.-50-2300 रु.

चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
5	6	7
चयन	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष । (परीक्षा वर्ष की पहली जुलाई को)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से निम्नलिखित में से किसी एक विद्या-शाखा में इंजीनियरी में स्नातक/प्रौद्योगिकी में स्नातक— (i) यांत्रिक इंजीनियरी, (ii) विद्युत इंजीनियरी, (iii) दूरसंचार इंजीनियरी, (iv) इलैक्ट्रोनिकी, (v) धातु-विज्ञान (vi) कम्प्यूटर विज्ञान या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्राप्त कम से कम कुल मिलाकर 60 प्रतिशत अंकों सहित विज्ञान (आनर्स) में स्नातक या विज्ञान में स्नातक जिसमें भौतिकी मुख्य/ऐच्छिक/सहायक/अतिरिक्त वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो।	नहीं	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
11	12
(i) दूर-संचार विभाग द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : दूर-संचार कारखानों के ऐसे कर्मचारिवृंद (जिसके अंतर्गत औद्योगिक

11	
(ii) विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	कर्मकार भी है) जिसके पास निम्नलिखित अर्हताएं हैं; अर्थात् (क) मैट्रिकुलेशन या इसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, और (ख) 950-1500 रु. या इसके समतुल्य वेतनमान में कम से कम पांच वर्ष नियमित सेवा की हो। या 800-1150 रु. या उसके समतुल्य वेतनमान में कम से कम पांच वर्ष नियमित सेवा की परन्तु उस अभ्यर्थी के पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ 8 के अधीन विहित अर्हता हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. प्रबंधक/उपमहाप्रबंधक/परियोजना प्रबंधक/परियोजना/निदेशक निदेशक—अध्यक्ष 2. ज्येष्ठ इंजीनियर/सहायक महाप्रबंधक/उप प्रबंधक—सदस्य 3. ज्येष्ठ इंजीनियर/सहायक महाप्रबंधक/उप प्रबंधक—सदस्य	लागू नहीं होता

[सं. 2-1/93-टी एफ एस]

एम. एम. एस. गोहल, सहायक महानिदेशक (टीएफएस)

टिप्पण : मूल भर्ती नियम सा.का.नि. सं. 95 तारीख 29-9-1971 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और उसके पश्चात सा.का.नि. सं. 912 तारीख 13-6-1978 और सा.का.नि. सं. 336 तारीख 20-4-1989 द्वारा संशोधन किए गए।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

(TELECOM COMMISSION)

New Delhi, the 2nd June, 1995

G.S.R....347—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Telecom Factories Organisation (Junior Engineer) Recruitment Rules, 1971, namely :—

1. (i) These rules may be called the Telecom Factories Organisation (Junior Engineer) Recruitment (Amendment) Rules, 1995.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Telecom Factories Organisation (Junior Engineer) Recruitment Rules, 1971—

(i) For the brackets and words "(Junior Engineer)" wherever they occur, the brackets and Words "(Junior Telecom Officer)" shall be substituted.

(ii) For the existing Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :—